

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 417 / 12
 संस्थापन दिनांक:-10 / 09 / 12
 फाईलिंग नं. 233504000852012

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

राजेश्वर पिता मुल्लू साहू
 उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम विरोदा,
 थाना अमनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 21.05.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 507 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि दिनांक 28.04.2012 को 11:55 बजे से 14:00 बजे गोविंद कॉलोनी आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी डॉ. नमिता को मोबाईल फोन पर अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 28.04.2012 को थाना आमला में एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके दूरभाष नं. 9424477225 पर दिनांक 28.04.2012 को दूरभाष नं. 9454600282 द्वारा अश्लील, गंदी, अपमानजनक अभद्र बातें कर उसे मानसिक रूप से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। उक्त आवेदन की जांच उपरांत थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 292/12 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त का तलाशी पंचनामा एवं उसे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.04.2012 को 11:55 बजे से 14:00 बजे गोविंद कॉलोनी आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी डॉ. नमिता को मोबाईल फोन पर अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

5 प्रकरण में अभियोजन को अनेक अवसर दिये जाने पर भी अभियोजन पक्ष साक्षियों को परीक्षण हेतु उपस्थित रखने में असफल रहा है। प्रकरण वर्ष 2012 से लंबित है तथा प्रकरण में अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुति हेतु अनेक बार अंतिम अवसर दिये गये परंतु फिर भी अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने पर प्रकरण न्याय दृष्टांत **हुस्न आरा खातून आदि के विरुद्ध गृह सचिव बिहारी राज्य ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 1369** के आलोक में अभियोजन का साक्ष्य हेतु अवसर समाप्त किया गया तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जा रहा है।

6 जी.पी. रम्हारिया (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी डॉ. नमिता के द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर कि मोबाईल नं. 9754600282 के धारक द्वारा अश्लील, गंदी अपमानजनक बातें कहकर मानसिक रूप से असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान किया जा रहा है। साक्षी ने उपर्युक्त आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किया जाना, घटना का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) एवं अभियुक्त को तलाशी पंचनामा (प्रदर्श पी-3) एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-4) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि फरियादी की ओर से जो लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था उस पर दिनांक 28.04.2012 लेख है और थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 08.09.2012 लेख है। इस सुझाव को गलत बताया है कि फरियादी के द्वारा लिखित आवेदन दिनांक 28.04.2012 को प्राप्त हुआ था। स्वतः कहा कि दिनांक 03.09.2012 को प्राप्त हुआ था। इस सुझाव को सही बताया है कि प्रकरण में मोबाईल और सिम उसके द्वारा जप्त नहीं की गयी और इस संबंध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि जिस मोबाईल नंबर के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया था वह अभियुक्त राजेश्वर के नाम से थी अथवा नहीं। इस सुझाव को भी सही बताया है कि घटना के समय आवेदन में लेख मोबाईल नंबर की सिम किसके नाम से थी इसका उल्लेख भी उसके द्वारा प्रकरण में नहीं किया गया है।

7 प्रकरण में साक्षी जी.पी. रम्हारिया ने आवेदन में दिनांक 28.04.2012 लिखा होना बताया है, जबकि थाने में उक्त आवेदन दिनांक 03.09.2012 को प्रस्तुत किया जाना बताया है। विवेचक साक्षी के द्वारा स्वयं यह बताया गया है कि उसकी ओर अभिलेख पर ऐसे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे कि यह प्रकट हो कि फरियादी के द्वारा जिस मोबाईल नंबर के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया था वह मोबाईल नंबर की सिम घटना के समय अभियुक्त के नाम पर थी। साथ ही साक्षी के द्वारा मुख्य परीक्षण में यह बताया गया है कि आवेदन में फरियादी के द्वारा असामाजिक तत्वों के द्वारा परेशान किया जाना बताया गया है। जबकि प्रकरण मात्र एक अभियुक्त के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। तब ऐसी स्थिति में जबकि इस संबंध में अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि जिस मोबाईल नंबर के संबंध में फरियादी के द्वारा शिकायत की गयी थी, उस नंबर की सिम घटना दिनांक को अभियुक्त के नाम पर थी एवं प्रकरण में साक्षी जी.पी. रम्हारिया के अतिरिक्त कोई अन्य साक्षी परीक्षित नहीं हुआ है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। तब ऐसी स्थिति में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा ही फरियादी को उक्त मोबाईल नंबर से अपमानजनक बातें कहकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

8 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी डॉ. नमिता को मोबाईल फोन पर अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त राजेश्वर को भारतीय दंड संहिता की धारा 507 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

9 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

